



कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ नया फ्रेंट खोला, चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में हेराफेरी का

कांग्रेस का आरोप है, लोकसभा चुनाव में भाजपा 79 सीटें मतदान प्रतिशत में हेराफेरी करके जीती है

-रेणु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अगस्त। कांग्रेस पार्टी ने नरेन्द्र मोदी पर लोड़े दिल्ली चुनाव में वोटों में हेराफेरी करके फर्जी जीत हासिल करने का आरोप लगाया है।

यह आरोप लगाते हुए कि 2024 अम चुनावों में, कुल मतदान संख्या में हेराफेरी करने वाला ने 79 सीटों पर विजय हासिल की है, कांग्रेस ने आज भारतीय चुनाव आयोग से, प्रारंभिक तथा फाइनल मतदान आंकड़ों में बहुत अधिक अंतर के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है।

बोर्ट फॉर डैमोक्रेसी (वी.एफ.डी.) की एक रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्ण सांसद संदेश दीक्षित ने आज एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि, चुनाव के प्रथम चरण के वोटिंग के अंकड़े देने में चुनाव आयोग को 11 दिन लगे थे।

- कांग्रेस के अनुसार, 2019 में मतदान प्रारंभिक रूप से घोषित मतदान प्रतिशत व फाइनल वोटिंग पर सेटेज में केवल एक प्रतिशत का फर्क था, पर, 2024 में प्रारंभिक मतदान प्रतिशत व फाइनल घोषित मतदान प्रतिशत में औसतन 4.7 प्रतिशत का फर्क था, जो जायज नहीं लगाता।
- कांग्रेस के अनुसार, ओडीशा व आंध्र, जहाँ भाजपा को मतदान प्रतिशत में अप्रत्याशित सफलता मिली है, वहाँ पर कांग्रेस ने आज भारतीय चुनाव आयोग से, प्रारंभिक तथा फाइनल मतदान आंकड़ों में अंतर 1.25 प्रतिशत का, जो कि बहुत बड़ा अंतर है तथा चुनाव आयोग को इसका, जबाब देना चाहिए।
- कांग्रेस का यह भी कहना है कि मतदान के बाद चुनाव आयोग द्वारा परिणाम घोषित करने में इतना अधिक समय लगाना भी संदेश उत्पन्न करता है। क्योंकि, आधुनिक टैक्नोलॉजी से तो मतदान को समय हर दो घंटे में बोटों की संख्या अपेक्षित होती है, पर, चुनाव के प्रथम चरण के वोटिंग के अंकड़े देने में चुनाव आयोग को 25 प्रतिशत है।
- कांग्रेस का यह भी कहना है कि मतदान के बाद चुनाव आयोग द्वारा परिणाम घोषित करने में इतना अधिक समय लगाना भी संदेश उत्पन्न करता है। क्योंकि, आधुनिक टैक्नोलॉजी से तो मतदान को समय हर दो घंटे में बोटों की संख्या अपेक्षित होती है, पर, चुनाव के प्रथम चरण के वोटिंग के अंकड़े देने में चुनाव आयोग को 25 प्रतिशत है।

ये 5 करोड़ वोट होते हैं। वी.एफ.डी. रिपोर्ट का हवाला देते हैं।

वी.एफ.डी. रिपोर्ट का हवाला देते हैं।

हुए दीक्षित ने खुलासा किया कि ओडीशा तथा आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य, जहाँ भाजपा व उसके समर्थकों के प्रदर्शन अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छा हो, प्रारंभिक तथा फाइनल मतदान आंकड़ों में अंतर 1.25 प्रतिशत का, जो कि मौजूदा सरकार के अधिकारी को जारी करने के बाद जो भय का माहौल बना है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है।

कांग्रेस व्हायरसिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि सरकार के अपने आंकड़े जो उपने राज्यसभा में जारी किए गए, बताते हैं कि वर्ष 2023 में 2.10

राज्यसभा में प्रस्तुत हस्त सरकारी आंकड़े पर कांग्रेस ने भाजपा को धोरा और कहा कि भय के माहौल व कर प्रणाली के कारण भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं।

लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है जोकि 2016 में 1.23 लाख भारतीयों का दोगा है। उन्होंने दावा किया कि जिन लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है जोकि इनके अंतर से भारतीय प्रश्नों को जन्म देता है।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिकारी तथा व्यवस्था पर गंभीर पड़ेगा।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निवाचन क्षेत्रों को चिनित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम इनके देश छोड़ने से भारतीय की अधिक

'हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद स्वामी अवधेशाचार्य और उनके परिवारजनों को मुख्य द्वार से प्रवेश पर पुलिस ने रोका'

गलताजी ठिकाने के स्वामी अवधेशाचार्य ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 2 अगस्त को जारी आदेश की पालना करवाने की मांग की

-कार्यालय संचादाता-
जयपुर। गलता पीठ ठिकाना की संपत्ति व महंत की नियुक्ति पर चल रहे विवाद में एक नई मोड आया है। स्वामी अवधेशाचार्य ने अपने अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को शिकायत भेजी है कि, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस अधिकारी ने 2 अगस्त को उनके घर के मुख्य द्वार पर ही 3 घंटे रोक लिया हाईकोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि दिखाने के बावजूद भी गलताजी थानाधिकारी और ए.सी.पी. रामगंज ने उनकी बात नहीं सुनी। जब कई बार समझाने पर भी पुलिस अधिकारी नहीं माने तो थक-हारकर स्वामी अवधेशाचार्य व उनके पुत्र राघवेन्द्र को धमशाला जाना पड़ा।

स्वामी अवधेशाचार्य ने बताया कि, राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 अगस्त आदेश देते हुए कहा था कि "स्वामी अवधेशाचार्य, मामले की अपील के फैसले तक पर दसे हटाए जा रहे हैं, वे महंत के पर दर दावेदारी नहीं करें, परन्तु वे मंदिर परिसर में बने निवास पर रह सकते हैं और पूजा-अर्चना भी जारी रख सकते हैं।"

स्वामी अवधेशाचार्य की ओर से जयपुर कलेक्टर को लिखे गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि, उनके घर के मुख्य द्वार, जो मंदिर परिसर में तरफ खुलते हैं, उनसे सील करके बंद कर दिया गया है कि, जो कारण उन्हें अपने आदेश तक आने-जाने के लिए छूट दी है।" उन्होंने इस आदेश की प्रतिलिपि भी पुलिस अफसरों को दिखाई, इसके बावजूद उन्होंने शुक्रवार रात को करीब 3 घंटे तक उन्हें मुख्य द्वार पर रोककर रखा, जो कि हाईकोर्ट के आदेश की सरासर अवहेलना है।



राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने शुक्रवार देर रात गलताजी मंदिर परिसर स्थित आवास पर जाने से स्वामी अवधेशाचार्य और उनके पुत्र स्वामी राघवेन्द्र को रोक लिया।

- शिकायत में अवधेशाचार्य की ओर से कहा गया है कि, "उनके घर के मुख्य द्वार, जो मंदिर परिसर की तरफ खुलते हैं, उसे सील करके बंद कर दिया गया है। इस कारण उन्हें अपने आदेश तक आने-जाने के लिए छूट दी है।" उन्होंने इस आदेश की प्रतिलिपि भी पुलिस अफसरों को दिखाई, इसके बावजूद उन्होंने शुक्रवार रात को करीब 3 घंटे तक उन्हें मुख्य द्वार पर रोककर रखा, जो कि हाईकोर्ट के आदेश की सरासर अवहेलना है।
- शिकायत में कहा गया है कि, "राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से 2 अगस्त को स्वामी अवधेशाचार्य की मंदिर परिसर में बने अपने निवास पर रहने और आने-जाने के लिए छूट दी है।" उन्होंने इस आदेश की प्रतिलिपि भी पुलिस अफसरों को दिखाई, इसके बावजूद उन्होंने शुक्रवार रात को करीब 3 घंटे तक उन्हें मुख्य द्वार पर रोककर रखा, जो कि हाईकोर्ट के आदेश की सरासर अवहेलना है।

रहा है। उन्हें अपने घर के पीछे बने शिकायत में कहा कि, "2 अगस्त पुरुष के साथ निवास की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर परिसर की तरफ खुलने वाले उनके घर के पुरुष राघवेन्द्र, जिला प्रशासन के

अवधेशाचार्य ने अपनी शिकायत में कहा कि, "2 अगस्त पुरुष के साथ निवास की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर परिसर की तरफ खुलने वाले उनके घर के



स्वामी अवधेशाचार्य के मुख्य निवास पर प्रशासन द्वारा लगाई गई पेपर सील की फोटो उनके पुत्र स्वामी राघवेन्द्र द्वारा साझा की गई।

आर्यिका निरंजनमती माताजी का यमसल्लेखना पूर्वक समाधि मरण



बिलवा स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गणिनी आर्यिका नंगमती माताजी के सानिध्य में हुई समाधि।

जयपुर। टॉक रोड के बिलवा स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुधर्म नंग अहिंसा ट्रस्ट के परिसर में गणिनी आर्यिका रत्न सुधर्ममती माताजी एवं गणिनी आर्यिका रत्न गोरवमती माताजी द्वारा मानसरोवर स्थित आवास पर प्रदर्शन की गई थी। उस समय माताजी को श्रेयांशुमती नाम प्रदान किया गया था, क्योंकि उस दिन तीव्रकर श्रेयांसनथ भगवान का जन्म एवं तात्पुरायक पथ था। इसके पश्चात वर्ष 2021 में गणिनी आर्यिका अतिम डौल रात्रि निकाली गई और मंत्रोच्चाण के साथ माताजी के शरीर को पंचतत्व में खोली गयी। इस दौल रात्रि के बाद छुलिका गोरवमती माताजी द्वारा उपक्रित हुए और नंगमती माताजी द्वारा 31 जुलाई 2024 को ही आर्यिका दीपक ग्राहन की गई थी, तब माताजी को निरंजनमती नाम प्रदान किया गया।

अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा एकता संघ अध्यक्ष अभियंक

अधिकारियों के विरुद्ध लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार के प्रतिवर्द्ध के लिए प्रतिवर्द्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुसासनात्मक कार्यवाही एवं अधियोजन स्वीकृति के विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों का प्राथमिकता से अधियोजन निर्वाचन किया।

मुख्यमंत्री ने 7 प्रकरणों में सेवात अधिकारियों को सीसीए नियम 16 एवं 17 के अन्तर्गत दिये रखे तथा 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों पर आरोप के समायुक्तिक पेशन रोकने का नियम किया। साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध संचालित एक अन्य प्रकरण में प्रस्तुत अधिकारी के अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप का अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप अनुसासन की दोषपुरक अधिकारियों को दोषपुरक किया।

मुख्यमंत्री ने 3 प्रकरणों में सेवात अधिकारियों को सीसीए नियम 34 में प्रस्तुत 3 पुरावलोकन याचिकाएं संतोषजनक तथ्यों के अधार में अधिकारियों पर आरोप के समायुक्तिक पेशन रोकने का नियम किया। साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध संचालित एक अन्य प्रकरण में प्रस्तुत अधिकारी के अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप का अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप अनुसासन की दोषपुरक किया।

मुख्यमंत्री ने 3 प्रकरणों में सेवात अधिकारियों को सीसीए नियम 34 में प्रस्तुत 3 पुरावलोकन याचिकाएं संतोषजनक तथ्यों के अधार में अधिकारियों पर आरोप के समायुक्तिक पेशन रोकने का नियम किया। साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध संचालित एक अन्य प्रकरण में प्रस्तुत अधिकारी के अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप का अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप अनुसासन की दोषपुरक किया।

मुख्यमंत्री ने 3 प्रकरणों में सेवात अधिकारियों को सीसीए नियम 34 में प्रस्तुत 3 पुरावलोकन याचिकाएं संतोषजनक तथ्यों के अधार में अधिकारियों पर आरोप के समायुक्तिक पेशन रोकने का नियम किया। साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध संचालित एक अन्य प्रकरण में प्रस्तुत अधिकारी के अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप का अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप अनुसासन की दोषपुरक किया।

मुख्यमंत्री ने 3 प्रकरणों में सेवात अधिकारियों को सीसीए नियम 34 में प्रस्तुत 3 पुरावलोकन याचिकाएं संतोषजनक तथ्यों के अधार में अधिकारियों पर आरोप के समायुक्तिक पेशन रोकने का नियम किया। साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध संचालित एक अन्य प्रकरण में प्रस्तुत अधिकारी के अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप का अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप अनुसासन की दोषपुरक किया।

मुख्यमंत्री ने 3 प्रकरणों में सेवात अधिकारियों को सीसीए नियम 34 में प्रस्तुत 3 पुरावलोकन याचिकाएं संतोषजनक तथ्यों के अधार में अधिकारियों पर आरोप के समायुक्तिक पेशन रोकने का नियम किया। साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध संचालित एक अन्य प्रकरण में प्रस्तुत अधिकारी के अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप का अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप अनुसासन की दोषपुरक किया।

मुख्यमंत्री ने 3 प्रकरणों में सेवात अधिकारियों को सीसीए नियम 34 में प्रस्तुत 3 पुरावलोकन याचिकाएं संतोषजनक तथ्यों के अधार में अधिकारियों पर आरोप के समायुक्तिक पेशन रोकने का नियम किया। साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध संचालित एक अन्य प्रकरण में प्रस्तुत अधिकारी के अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप का अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप अनुसासन की दोषपुरक किया।

मुख्यमंत्री ने 3 प्रकरणों में सेवात अधिकारियों को सीसीए नियम 34 में प्रस्तुत 3 पुरावलोकन याचिकाएं संतोषजनक तथ्यों के अधार में अधिकारियों पर आरोप के समायुक्तिक पेशन रोकने का नियम किया। साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध संचालित एक अन्य प्रकरण में प्रस्तुत अधिकारी के अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप का अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप अनुसासन की दोषपुरक किया।

मुख्यमंत्री ने 3 प्रकरणों में सेवात अधिकारियों को सीसीए नियम 34 में प्रस्तुत 3 पुरावलोकन याचिकाएं संतोषजनक तथ्यों के अधार में अधिकारियों पर आरोप के समायुक्तिक पेशन रोकने का नियम किया। साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध संचालित एक अन्य प्रकरण में प्रस्तुत अधिकारी के अनुसासन तथा 2 प्रकरणों में आरोप का अनुसासन तथा

